म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

ब्लाक नंबर 2, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर

दिनांक 30.07.2013

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/2297

आदेश

मध्य प्रदेश शासन, उर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 5431/3–24/2013/तेरह भोपाल, दिनांक 30.07.2013 द्वारा दिये गयें अनुमोदन एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/2295–96 दिनांक 30.07.2013 के परिपालन में म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कार्मिकों, जिनकी सेवाओं का अंतिम रूप से एम पी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में संविलियन किया गया है, को अब यह विकल्प दिया गया है कि वे स्वेच्छानुसार 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु का विकल्प स्वीकार कर सकते हैं । पूर्ववर्ती म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल से कंपनी में अंतरित वे कैडर (डाईंग कैडर), जिनका समावेश ऊर्जा विभाग, म. प्र. शासन के पत्र क्रमांक 4992/13/2011/ऊ.स./एम.डी. दिनांक 09.06.2011 द्वारा स्वीकृत कंपनी की संगठनात्मक संरचना में नहीं किया गया है, पर कार्यरत प्रथम/द्वितीय/तृतीय श्रेणी के कार्मिकों की सेवानिवृत्त की आयु 58 वर्ष ही रहेगी एवं वे इस विकल्प के पात्र नहीं होंगे। चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु यथावत 60 वर्ष ही रहेगी ।

उपरोक्तानुसार विकल्प प्रस्तुत करने पर भी म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल से एम पी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में संविलियन किये गये कार्मिकों की सेवा–शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेगी। विकल्प नियोक्ता अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा । विकल्प का निष्पादन निम्नानुसार किया जायेगा :–

(1) प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों के विकल्प उनके नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से मुख्य अभियंता(कार्पोरेट अफेयर्स एवं आई.टी) म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कं. लिमि., जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जावेगें ।

(2) तृतीय श्रेणी कार्मिकों के विकल्प उनके नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से संबंधित विभागाध्यक्ष यथा मुख्य अभियंता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जावेगें ।

(3) उक्त (1) एवं (2) के अंतर्गत विकल्प प्रस्तुत करने वाले कार्मिकों की सूची मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स एवं आई.टी) म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कं. लिमि., जबलपुर को उपलब्ध करायी जाये।

(4) ऐसे कार्मिक जो 31.07.2013 एवं उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो रहे हैं एवं उनके सेवानिवृत्ति आदेश पूर्व में जारी हो चुके हैं ऐसे कार्मिकों के विकल्प प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने वाले संबंधित अधिकारी तत्काल उनके सेवानिवृत्ति आदेश को (डाइंग कैडर को छोड़कर) शून्य घोषित करेंगें ।

(5) प्रथम, द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों को विकल्प प्राप्त होने पर जारी किए गए सेवानिवृत्ति आदेश शून्य घोषित करने की कार्यवाही के लिए प्रबंध संचालक के अनुमोदन से मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स एवं आई.टी) म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कं. लिमि., जबलपुर अधिकृत होगें ।

(6) म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल से संविलियत एवं कंपनी के संगठनात्मक ढांचे में सम्मिलित पदों पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा दिनांक 20.08.2013 तक विकल्प दिये जा सकेंगे । माह जुलाई, 2013 में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक 31.07.2013 से पूर्व अपना विकल्प आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे । इस तिथि के उपरान्त प्राप्त विकल्पों पर विचार नहीं किया जा सकेगा ।

(7) यह आदेश अन्य कंपनी से, प्रतिनियुक्ति पर आये कार्मिकों के लिए लागू नहीं होगा ।

(8) म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल से एम पी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में संविलियन किए गए ऐसे कार्मिकों, जिनके द्वारा विकल्प प्रस्तुत नहीं किये जावेगे, उनके लिए सेवानिवृत्ति की आयु पूर्वानुसार 58 वर्ष ही लागू होगी तथा उनके सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने की प्रकिया यथावत रहेगी ।

उपरोक्त निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा । परिपत्र एवं विकल्प का प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.mpptcl.com पर उपलब्ध है ।

संलग्नः 1. विकल्प का प्रारूप
2. डाईंग कैडर (Dying Cadre) की सूची

आदेशानुसार

(के.के. सक्सेना)
मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स एवं आई.टी)
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर

दिनांक 30.07.2013

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/2298

प्रतिलिपि–

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र.पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., जबलपुर/भोपाल/ इंदौर।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. पावर जनरेटिंग/मैनेजमेंट कंपनी लि., जबलपुर।
4. मुख्य अभियंता (मा.सं.वि.सं.)/(सी.आर.ए.)/(टी.एण्ड सी.)/(प्रोक्योरमेंट)/(योजना एवं ऊर्जा पद्धति)/(अउदा–निर्माण)/(अउदा–संधारण एवं निरीक्षण)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/ (सिविल–ट्रांसमिशन), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
5. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ट्रांसमिशन स्टोर), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
7. अधीक्षण अभियंता (टी.एण्ड सी.)/(अउदा–निर्माण)/(अउदा–संधारण)/ 400 के.व्ही उपकेन्द्र वृत्त, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., ...
8. संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
9. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/(संचार)/(अउदा–निर्माण)/(अउदा–संधारण)/(कर्मशाला)/(400 के.व्ही. परीक्षण) संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., ...।
10. उप निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
11. कम्पनी संचिव/कल्याण अधिकारी/सहायक सांख्यिकी अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
12. निज सचिव संबद्ध प्रबंध निदेशक/निदेशक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
13. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
14. वेब मास्टर/ आदेश नस्ती / ग्रेडेशन अनुभाग ।

(अभय खरे)
कार्यपालन अभियंता
कार्या.–मुख्य अभियंता (कार्पो.अफेयर्स एवं आई.टी.)
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर

म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

ब्लाक नंबर 2, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर

(आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/2297–98 दिनांक 30.07.2013)

एम पी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल के अंतिम रूप सेहस्तांतरित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी कार्मिकों द्वारा तीन प्रतियों में भरा जावे)

(1) कर्मचारी का नाम : ....

(2) कर्मचारी संख्या : ....

(3) जन्म तिथि : ....

(4) वर्तमान धारित पद : ....

(5) श्रेणी : ....

(6) कार्यालय का नाम एवं पता : ....
....

(7) मंडल में प्रथम नियुक्ति दिनांक : ....

मैं एतद् द्वारा कंपनी के परिपत्र/आदेश क्रमांक .... दिनांक .... के अनुपालन में कंपनी से सेवानिवृत्त होने की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष किए जाने का विकल्प स्वीकार करता/करती हूँ । उपरोक्तानुसार दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य हैं ।

कर्मचारी के हस्ताक्षर

नाम ....

स्थानः ....

दिनांक ....

नियंत्रणकर्ता अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

क्रमशः ....2....

नोट :-

1. कार्यालय/विभाग प्रमुख माह 31.07.2013 में सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कार्मिकों, जो 60 वर्ष की आयु के विकल्प हेतु इच्छुक हैं, से उपरोक्त प्रारूप में विकल्प भरवाकर दिनांक 31.07.2013 के पूर्व तथा माह जुलाई 2013 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों से उपरोक्त प्रारूप में विकल्प भरवाकर 20.08.2013 तक इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

2. कार्यालय/विभाग प्रमुख माह 31.07.2013 में सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे तृतीय श्रेणी के कार्मिकों, जो 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु के विकल्प हेतु इच्छुक हैं, से उपरोक्त प्रारूप में विकल्प भरवाकर दिनांक 31.07.2013 के पूर्व तथा माह जुलाई, 2013 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले तृतीय श्रेणी के कार्मिकों से उपरोक्त प्रारूप में विकल्प भरवाकर दिनांक 20.08.2013 तक संबंधित विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3- अन्य उत्तरवर्ती कंपनियों के मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन/मानव संसाधन एवं प्रशासन),,कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन), अतिरिक्त/संयुक्त सचिव कृपया यह सुनिश्चित करें कि उनकी कंपनी से अंतिम रूप से एम पी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में संविलियन हेतु अंतरित कार्मिक, जो माह जुलाई, 2013 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यदि वे 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति का विकल्प स्वीकार करने के इच्छुक हैं तो अपने विकल्प इस कार्यालय में दिनांक 31.07.2013 के पूर्व तक प्राप्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा माह जुलाई, 2013 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों से विकल्प प्रपत्र में विकल्प भरवाकर 20.08.2013 तक मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स एवं आई.टी) म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कं. लिमि., जबलपुर को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे ।

(आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/2297–98 दिनांक 30.07.2013)

परिशिष्ट

LIST OF DYING CADRE

S.No.	CLASS-I
1	ED/ CE (Civil)
2.	SYSTEM MANAGER
3.	SYSTEM ANALYST
4.	SR. EDP OFFICER
5.	STATISTICAL OFFICER
6.	SR. AD.O. / DY. SECRETARY
	CLASS -II
7.	EDP OFFICER
8.	ASSTT. STATISTICAL OFFICER
9.	PROGRAMMER
10.	MEDICAL OFFICER
	CLASS -III
11.	DATA PROCESSING SUPERINTENDENT
12.	OPERATION SUPERVISOR
13.	PUNCH RROM SUPERVISOR
14.	STOCK VERIFIER
15.	DATA PROCESSING ASSISTANT (SG)
16.	CONSOLE OPERATOR / KEY PUNCH OPERATOR
17.	HEAD SECURITY GUARD
18.	A.N.M.
19.	PHARMACIST
20.	DATA PROCESSING ASSISTANT
21.	PHOTOGRAPHER CUM ARTIST
22.	SR. PLANT ASSISTANT

मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिसः ब्लाक नं.2, शक्ति भवन,रामपुर,जबलपुर–482008

***

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/V/2288 दिनांक 29.07.2013

आदेश

मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/V/3527 दिनांक 13.12.2012 के अनुसार सभी पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों, जिसमें म.प्र. पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एवं म.प्र. पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के साथ म.प्र. राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 01.06.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर/परिवार पेंशनर भी शामिल हैं, को 72% की दर से मंहगाई राहत देय है। इस तारतम्य में कम्पनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त समस्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 01 जनवरी 2013 से निम्नानुसार दर से मंहगाई राहत देय होगी। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी :–

अवधि जबसे देय है	**मंहगाई राहत की दर प्रतिमाह**
दिनांक 01.01.2013	पेंशन/परिवार पेंशन का 80%

2. मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा ।

3. पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशीकरण के पूर्व (before commutation) की पेंशन पर होगी ।

आदेशानुसार

(हस्ताक्षर)

(के.के. सक्सेना)
मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स एवं आईटी)
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/V/2289 **दिनांक 29.07.2013**

प्रतिलिपि–

1. अवर सचिव, म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. मुख्य अभियंता (मा.सं.वि.सं.)/ (टी.एण्ड सी.)/(प्रोक्योरमेंट)/(योजना एवं रूपांकन)/(अउदा–निर्माण)/(अउदा–संधारण एवं निरीक्षण)/(राज्य भार प्रेषण केन्द्र)/(सिविल–ट्रांसमिशन)/(सी.आर.ए.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।

क्रमशः . . . 2

C:\Beg258\DA ORD 11.12

3. मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.)/(एच.आर.ए.)/(एच.आर.एंड ए.), म.प्र.पॉवर मैनेजमेंट कं.लि./म.प्र. मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/ भोपाल/ इंदौर ।
4. कार्यपालक निदेशक (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर ।
5. अतिरिक्त सचिव, म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर ।
6. मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (ट्रांसमिशन स्टोर), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
8. अधीक्षण अभियंता (टी.एण्ड सी.)/(अउदा–निर्माण)/(अउदा–संधारण)/400 के.व्ही. उपकेन्द्र वृत्त, म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि., ...
9. संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
10. मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.), महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, प्लाट नं. सी–19, `E' ब्लाक, प्रकाशगंगा, 7वीं मंज़िल, बांद्रा–कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुम्बई–400051.
11. अति. महाप्रबंधक(मा.स.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, रायपुर
12. कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/(संचार)/(अउदा–निर्माण)/(अउदा–संधारण)/ (उपकेन्द्र)/(कर्मशाला)/(400 के.व्ही. परीक्षण) संभाग, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., ...
13. उप निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
14. कल्याण अधिकारी/सहायक सांख्यिकी अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
15. निज सचिव संबद्ध प्रबंध निदेशक/निदेशक (तकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
16. क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
17. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी/(के.ले.ई.)/म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड/म.प्र.पावर मैनेजमेंट/जनरेटिंग कं. लि., ...
18. वेब मास्टर।

टीप :– <u>सरल क्रं.3,4 एवं 5 के लिये</u> । – अनुरोध है, कि अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों को उपरोक्त आदेश के कियान्वयन हेतु कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें ।

(अभय खरे)
कार्यपालन अभियंता
कार्या.–मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स एवं आईटी)
म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर।